

सेवा में ,

निदेशक उच्चतर शिक्षा हरियाणा,
सैक्टर-5, पंचकूला।

प्रेषक

प्राचार्य,
राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालय, हरियाणा

यादी क्रमांक:- 12/02-2019 छा (5)
दिनांक, पंचकूला 02-08-19

विषय:-


PFMS regarding Consolidated Stipend Scheme for the welfare of Scheduled Caste students pursuing Higher Education in Govt. Colleges during the year 2019-20.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

आपको सूचित किया जाता है कि स्कीमानुसार सभी राजकीय महाविद्यालयों में पढने वाले अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति से सम्बंधित कार्य करने वाले नोडल आफिसर को मानदेय राशि 4000/- रुपये तथा क्लर्क को 2000/- रुपये प्रदान की जाती है।

वर्ष 2018-19 में सभी राजकीय महाविद्यालयों को मानदेय राशि, बजट राशि समाप्त होने के कारण प्रदान नहीं की जा सकी थी। अतः स्कीमानुसार मानदेय राशि अलॉट कर दी गई है। जिन राजकीय महाविद्यालयों द्वारा मानदेय राशि खजाने से झा कर ली गई है उनसे अनुरोध है कि उन महाविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य महाविद्यालय राशि झा करके APR तुरन्त निदेशालय को भिजवाएं।

आपको निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त स्कीम के तहत निदेशालय द्वारा अलॉट की गई राशि पात्र छात्रों को वितरित नहीं की जाती तथा राशि लैप्स कर दी जाती है। जिसके कारण विभाग को CM Grievance तथा RTI मामलों का सामना करना पडता है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2019-20 से उन महाविद्यालयों की मानदेय राशि रोक दी जाएगी।



अधीक्षक छात्रवृत्ति,
कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

